पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

PTCUL

पत्रांकः 242 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/आई0आर–2 दिनांकः 02 /02/2021

विषयः–उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी–कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा दिनांक 03.02.2021 को सांकेतिक कार्य बहिष्कार किये जाने के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता /महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता,
पिटकुल, ...

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि संयोजक, उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी–कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पत्रांक 30/मोर्चा/2020–21 दिनांक 30.01.2021 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा NCCOEE (नेशनल कॉर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर्स एण्ड एम्प्लाईज) के तत्वाधान एवं देशव्यापी आह्वान के क्रम में उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी–कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के समस्त सदस्यों द्वारा केन्द्र/राज्य सरकारों की निजीकरण की नीति के विरोध में एवं अन्य प्रमुख समस्याओं के समाधान हेतु दिनांक 03.02.2021 को एक दिवसीय सांकेतिक कार्य बहिष्कार किये जाने के सम्बन्ध में सूचित किया गया है।

उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी–कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा दिनांक 03.02.2021 को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित सांकेतिक कार्य बहिष्कार किये जाने सम्बन्धी कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए मुझे हुए निर्देशों के अनुक्रम में आपको अवगत कराना है कि उक्त दिनांक 03.02.2021 को किसी भी कार्मिक का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। साथ ही आप अपने नियंत्रणाधीन समस्त कार्मिकों को यह भी अवगत कराने का कष्ट करें कि उक्त प्रस्तावित कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कार्मिकों पर **"काम नहीं तो वेतन नहीं"** का सिद्धान्त लागू करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।

इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि प्रदेश के सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो एवं कारपोरेशन में औद्योगिक शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे।

संलग्नक : यथोपरि।

(ए0के0 जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)

पत्रांकः /म0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ आई0आर0–2 तददिनांक

प्रतिलिपि :–

1. निजी सहायक–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सहायक/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर–निदेशक (परिचालन)/(परियोजना)/(मा0सं0)/(वित्त), पिटकुल को निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।

(ए0के0 जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)

पत्रांकः /म0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ आई0आर0–2 तददिनांक

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को संलग्नक सहित पिटकुल की वैबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

(ए0के0 जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)

उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा

18 ई0 सी0 रोड़- देहरादून

केन्द्रीय कार्यालय- 18 ई0 सी0 रोड़
देहरादून

UVKASM

फोन नं0- 0135-2713714(0)
मोबाईल नं0- 9720797920

पत्रांक 30 / मोर्चा / 2020-21   दि० 30/01/2021

विषयः– दिनांक 03.01.2021 का सांकेतिक कार्य बहिष्कार के सम्बन्ध मे।

प्रबन्ध निदेशक
उपाकालि
ऊर्जाभवन
देहरादून ।

प्रबन्ध निदेशक
पिटकुल
विद्युत भवन
देहरादून।

प्रबन्ध निदेशक
यूजेवीएन लि0
देहरादून।

मान्यवर,

कृपया उपरोक्त विषयक आपको सूचित करना है कि NCCOEE (नेशनल कार्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर्स एण्ड इम्प्लायीस) के तत्वाधान एवं देशव्यापी आव्हान के क्रम में उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति से जुड़े समस्त सदस्यो द्वारा केन्द्र/राज्य सरकारो की निजीकरण की नीति के विरोध में एव अन्य प्रमुख समस्याओं के समाधान हेतु दिनांक 03.01.2021(बुधवार) को एक दिवसीय सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया जाऐगा। मुख्य मांगें निम्नवत हैः–

1. इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 एवं विद्युत वितरण के निजीकरण हेतु लाए जा रहे स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्युमेट (SBD)को निरस्त किया जाए। निजीकरण की केन्द्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़ व पुडुचेरी व किसी भी राज्य में चल रही निजीकरण की प्रक्रिया को वापस ली जाए।
2. उत्तराखण्ड राज्य के तीनों ऊर्जा निगमों यथा उपाकालि, पिटकुल एवं यूजेवीएन लि0 का एकीकरण कर उत्तराखण्ड राज्य विद्युत परिषद का गठन किया जाए।
3. सभी बिजली कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना वर्ष 2000 से लागू की जाए।
4. नियमित पदों पर नियमित भर्ती की जाए तथा रिक्त पदों पर संविदा कर्मचारियों को तेलंगाना की तरह नियमित किया जाए।
5. उत्तराखण्ड राज्य के तीनों ऊर्जा निगमों में पूर्व की भाँति सातवे वेतनमान में 9–14–19 वर्षो की समयबद्ध वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू की जाए।

इ हक

भवदीय
(इंसारूल हक)
संयोजक

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक(मा0सं0), उपाकालि/पिटकुल/यूजेवीएन लि0 ।

कार्यालय निदेशक (मा0सं0)
पत्र प्राप्ति की दिनांक 01.02.2021 समय 4:30PM
डायरी संख्या........
प्राप्तकर्ता